राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या—291 / 2024

जतन कंवर पत्नी श्री सुमेर सिंह —**अपीलार्थी**

बनाम

1. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर, राजस्थान।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, ब्लॉक—।।, जिला जोधपुर, राजस्थान।
4. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सब डिविजन शेरगढ, जिला जोधपुर, राजस्थान।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.09.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित :—
प्रार्थी—अपीलार्थी की ओर से : श्री के.पी.एस. भाटी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :— **चेतन राम देवड़ा, सदस्य**
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी के पति स्व.श्री सुमेर सिंह पूर्व में बेलदार के पद पर कार्यालय सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, जिला उपखंड शेरगढ, जोधपुर में कार्यरत थे। अपीलार्थी के पति की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.04.1986 को पम्प चालक के रूप में हुई थी, जिसके पश्चात अपीलार्थी के पति संतोषपूर्वक अपनी सेवाएं निर्वहन कर रहे थे। दिनांक 31.12.1986 को मौखिक आदेश के द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं समाप्त कर दी गई। प्रत्यर्थी विभाग के उक्त आदेश दिनांक 31.12.1986 से व्यथित होकर अपीलार्थी के पति ने श्रम न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 240 / 1990 सुमेर सिंह बनाम सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, सब डिविजन बालेसर, जोधपुर दायर की। जिस पर माननीय श्रम न्यायालय ने आदेश दिनांक 02.02.1995 पारित कर आदेश पारित किया कि सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य एवं

अभियांत्रिकी विभाग, सब डिविजन बालेसर, जोधपुर द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त करना अनुचित एवं अवैध है। साथ ही अपीलार्थी को पुनः सेवा में नियुक्त करने और अपीलार्थी की सेवाओं को निरंतर माने जाने के आदेश प्रदान किये तथा 5 अक्टूबर, 1990 से सेवा में पुनः नियुक्त होने तक सेवा के समान 50 प्रतिशत वेतन एवं अन्य लाभ भी प्रदान करने के आदेश जारी किये गये (अनुलग्नक–1)। प्रत्यर्थी विभाग ने श्रम न्यायालय के आदेश दिनांक 02.02.1995 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष रिट याचिका संख्या 3224/1995 राजस्थान राज्य बनाम सुमेर सिंह एवं अन्य दायर की, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 08.08.2007 (अनुलग्नक–2) पारित राज्य सरकार की रिट याचिका को खारिज किया। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.08.2007 के विरूद्ध अपीलार्थी के पति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष डी.बी. सिविल विशेष अपील संख्या 758/2008 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम सुमेर सिंह एवं अन्य दायर की। उक्त डी.बी. रिट याचिका को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 18.12.2008 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया (अनुलग्नक–3)। इसके पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका को खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 18.12.2008 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अपील अनुमति (सिविल) सी.सी. 8890/2009 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम सुमेर सिंह एवं अन्य दायर की, जिस अपील को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 20.07.2009 के द्वारा खारिज कर दिया। तत्पश्चात प्रत्यर्थी विभाग ने माननीय श्रम न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 02.02.1995 की अनुपालना में आदेश दिनांक 01.10.2009 जारी कर अपीलार्थी के पति श्री सुमेर सिंह को सहायक अभियंता, उपखंड शेरगढ के कार्यालय में वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया (अनुलग्नक–5)। जिस आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 01.10.2009 को कार्यग्रहण कर लिया (अनुलग्नक–6)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 31.03.2011 (अनुलग्नक–7) जारी कर अपीलार्थी के पति की पूर्व की सेवावधि और पुर्नस्थापन के बाद की सेवावधि को जोड़ते हुए कुल दो वर्ष तक की अवधि के बाद की स्थिति की दिनांक 01.01.2011 से कार्य प्रभारित बेलदार के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित कर वेतन श्रृंखला (प्रथम)

4750–7440 एवं ग्रेड–पे 1300 (2550–55–2600–60–3200) में मूल वेतन 6050 एवं नियमानुसार भत्ते दिये जाने के आदेश जारी किये। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के पति को श्रम न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 02.02.1995 की अनुपालना में दिनांक 01.04.1986 के पश्चात 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 01.04.1988 से अर्द्धस्थायी घोषित कर वेतनमान के आदेश जारी किये जाने चाहिए थे, जो विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया गया और न ही अपीलार्थी को उक्त सेवाकाल के लिए 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर देय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया (अनुलग्नक–8)। इसके अलावा अपीलार्थी के पति को पम्प चालक के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित किया जाना था, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने बेलदार के पद पर अर्द्धस्थायी घोषित कर सेवापुस्तिका में दर्शा दिया। अपीलार्थी के पति सुमेर सिंह का निधन दिनांक 21.05.2012 को हो गया था (अनुलग्नक–9)। जिसके पश्चात अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 01.01.2009 मानते हुए उनकी मृत्यु दिनांक 21.05.2012 तक के कार्यकाल अवधि के दौरान देय वेतन और वेतन वृद्धियों को ही अनुमोदित किया गया, जबकि अपीलार्थी की सेवापुस्तिका में प्रथम नियुक्ति की दिनांक 01.04.1986 अंकित थी। इसके संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन दिनांक 17.10.2012 (अनुलग्नक–10) प्रेषित किया, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी को ग्रेच्युटी का भुगतान एवं पारिवारिक पेंशन का लाभ भी प्रदान नहीं किया जा रहा है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन दिनांक 09.11.2017 (अनुलग्नक–13) प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अपीलार्थी को दिनांक 25.01.1992 से 9, 18 एवं 27 वर्ष की अवधि के लिए देय चेयनित वेतनमान के लाभ के आधार पर पारिवारिक पेंशन लाभ प्रदान करने का निवेदन किया गया, परंतु अपीलार्थी के उक्त अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अलावा अपीलार्थी ने न्याय की मांग हेतु एक विधिक नोटिस दिनांक 13.01.2018 (अनुलग्नक–14) भी प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित किया है।

2. प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता ने इस अपील में जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने यह अपील 12 वर्ष से अधिक समय के बाद दायर की है, जबकि सभी सेवानिवृति लाभ तथा अनुकंपा नियुक्ति पहले ही दी जा चुकी है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के पति को ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया था, न कि पम्प चालक के रूप में। इसके अलावा

अपीलार्थी को श्रम न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 02.02.1995 की पालना में आदेश दिनांक 01.10.2009 के द्वारा 50 प्रतिशत बकाया वेतन 112543/– रूपये के साथ सेवा में बहाल किया गया था तथा पूर्णतः 2 वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात अर्द्धस्थायी का दर्जा, चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन कर मनन किया।

4. प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा नियुक्ति तिथि 01.04.1986 से सेवा काल की गणना की जाकर समस्त सेवा परिलाभ दिए जाने का निवेदन किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 9426/2009 छगन लाल जोशी बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2025 की प्रति प्रस्तुत की गई और निवेदन किया है कि इस प्रकरण में भी प्रार्थी को प्रथम नियुक्ति की तिथि से सेवा की गणना कर आदेश अर्द्धस्थायी घोषित कर समस्त परिलाभ दिया जावे। प्रकरण का आदेश निम्नानुसार हैः–

> "The respondent Department is directed to pass an order afresh declaring the petitioner workmen to be a 'Semi-Permanent' employee with effect from completion of two years of services from 19-06-1997 i.e. the date of his initial appointment. All the consequential benefits would follow. Appropriate order be passed within a period of six weeks from the receipt of the copy of the present order."

5. प्रकरण के तथ्यों के दृष्टिगत मामला प्रत्यर्थी विभाग को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार किया जाकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 9426/2009 छगन लाल जोशी बनाम राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर पुनः विचार किया जाकर नियमानुसार आदेश तीन माह की अवधि में प्रसारित करें। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग की कार्यवाही आदेश से संतुष्ट नहीं होने की दशा में पुनः अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

6. उक्तानुसार इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य